

Lesson: इकादारी सल्तनतकालीन प्रांतीय शासन

इकादारी प्रथा उस दिशा में पहला कदम इल्तुतमिश ने कल उठाया जब उसे  
कर दिया उस इकादारी प्रथा कहते हैं। इसमें सैनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य  
लिखित नियुक्त किया जाता था जिससे इकादारी प्रथा प्रचलित हुई। इकादारी प्रथा को  
में काबून को व्यवस्था बनाये रखने लगान की कसूर करने और सैनिकों को प्रदान  
करने का उत्तर दायित्व भी उन्हें देकर अभवा प्रान्तों में इकादारी प्रथा चली चलाने थी।  
ये अपने सेना बंधान करते थे और आकर प्रदान पर सुल्तान का मदद पहुँचाने में  
कृषि के विस्तार प्रजा की सुखियाएँ और शहत प्रदान करने का प्रेष इन्हीं को थी।  
समय-समय पर सुल्तान द्वारा विभिन्न कार्य सौंपे जाते थे। इन सबके बदले में इकादारी  
को अपने क्षेत्र में लगान वसूलने और धन-राशि का वेतन के रूप में प्राप्त करने का  
आधिकार था। यदि लगान की आकर्मनी वेतन की राशि से अधिक होती तो धन-राशि  
सत्कारी लगान में जमा देना भी इकादारी का दायित्व था। इकादारी को अपने  
इकादारी की प्रति पर स्वातंत्र्य का कोई अधिकार नहीं था। इकादारी को अउदार व्यवहार रूप  
से भी नहीं होता था। इसी इकादारी को नियंत्रित रूप से सन्तानांतरण किया जाता था।

प्रांतीय शासन: खिलजी एवं तुगलक काल तक दिल्ली सल्तनत के एक विभाग  
साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था और प्रांतीय शासन व्यवस्था भी पहलू के तुलना  
में अधिक विकसित हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सल्तनत  
में आये अफिकी चात्री, इल्तुतमिश के तुगलक कालीन प्रांतीय शासन का साम्राज्य  
23 प्रान्तों में विभक्त था। प्रांतीय शासन अभवा चली कार्यपालिका, न्यायपालिका और  
सैन्य सहायक तीनों का प्रधान होता था। इनकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती  
थी जिसकी मदद के लिए अधीनस्थ अधिकारी भी वित्तीय विभाग के देख-रेख के  
लिए प्रांतीय आरजि होते थे। उनके सहायता प्रदान करने के लिए मुसलिफ और  
काबुन नामक अधिकारी होते थे। प्रांतीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी राजी  
था जो आमतौर पर सुदरानों का फौजदारी होता था। फौजदारी सुदरानों चली  
द्वारा और फौजदारी सुदरानों राजी द्वारा देखे जाते थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था में  
एकरूपता नहीं थी। भौगोलिक कारणों से प्रांतों के शासन पर प्रशासकीय दंग से  
निर्भर बनाये रखना काफी मुश्किल था। मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल  
में इल्तुतमिश प्रान्तों के अधिकारियों ने स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करने में सफलता भी  
प्राप्त किया। प्रशासनिक सुखिया के लिए प्रान्तों को जिसे अनुवा शिक में विभाजित  
तुगलक काल में देखी जा सकती है। शिक के प्रशासनिक अधिकार देते थे।  
शिक के अधीन प्रान्तों में जो कई गाँवों पर आबादी थी। परगाना के स्तर पर  
आफिल नामक अधिकारी लगान की कसूरों का दाय देते थे। इकादारी  
द्वारा सौं गाँवों के सहाय के एक प्रशासनिक इकाई के रूप में विस्तार दिया  
जाता है। इसे "सदी" कहते हैं।

तुगलक साम्राज्य का विघटन के पश्चात् दिल्ली सल्तनत  
शक कोरे के राज्य के रूप में रह गयी थी। मध्य एशिया के राजाशाहों  
ने इल्तुतमिश के विस्तार दिया लेकिन प्रांतीय शासन प्रशासकीय  
विधिति देना उनके समय में संभव नहीं हुआ।  
राज्य का स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र परमिषात  
में सहायक रहा है। उनके धर्म-सुधार, धर्म-दोषित राज्य, सैनिक राज्य

(2)

कल्याणकाय राज्य कुलीनवंश आदि पुचक-पुचक नाम दिए गए हैं।  
पहले इनमें कोई एक जिला भी प्रजित मान्य नहीं है, क्योंकि यह  
पुचक-पुचक विशेषतः सल्तनत के अलग-अलग राजवंशों की अपनी  
परिस्थितियों की उल्लेख करती हैं। इनमें स्वतंत्र मान्य मत यह है कि  
दिल्ली सल्तनत के देवरीय राजवंश थे। जिनमें लैन्डिंग की ही प्रणाली  
की का मुख्य अंग था। सल्तनत के शासकों ने राज्य का यही रूप  
अन्तिम तक कायम रखा। इनके आधुनिक परिवर्तन मुगल साम्राज्य  
की संस्थापना के बाद ही शक्य हो सका।

□ डा० शंकर जय किशन चौधरी  
अभिधि शिक्षक, इतिहास विभाग  
डी० बी० कॉलेज, जयनगर